संख्या 810 /2023/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 07 जुलाई, 2023

विषयः– उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2023 में संशोधन उपरान्त Digital Document Execution (DDE), E-Udbhavam, E-BG को कियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 265/म0नि0नि0/2023–24, दिनांक 07.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची–एक–खा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में लागू अनुच्छेदों को उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–720/2023/XXVII(9)/स्टाम्प–42/2008, दिनांक 24.04.2023 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 के नियम 2 (1)(झ)एवं 25(4) के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 के नियम 2 (1)(झ)एवं 25(4) के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क हेतु भुगतान नेशनल ई–गवर्नेस सर्विसेज लिमिटेड (NESL) के माध्यम से स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) के सहयोग से डिजिटल ई–स्टाम्पिंग प्रणाली द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची–एक–खा में वर्णित अनुच्छेदों में से उत्तराखण्ड राज्य में लागू निम्न तालिका में वर्णित गैर पंजीकरण योग्य उपकरणों के लिए लोकहित में पेपरलेस ई–स्टांपिंग शुरू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	अनुच्छेद संख्या	अनुच्छेद का नाम
1	1	ऋण की स्वीकारोक्ति
2	4	शपथपत्र
3	5	करार या करार का ज्ञापन
4	6	स्वत्वपत्रों का निक्षेप, आड़ या गिरवी से सम्बन्धित इकरार
5	15	बन्ध पत्र
6	17	निरस्तीकरण का विलेख

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 07/07/2023 05:20 PM

7	24	प्रति या उद्धरण
8	25	प्रतिलेख या द्वितीय प्रति
9	34	क्षतिपूर्तिबांड
10	40	बन्धकपत्र
11	41	एक फसल का बन्धक
12	42	नोटरीकृत्य
13	50	बिल या नोट का प्रोटेस्ट
14	54	बन्धक की गयी सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण
15	56	रेस्पोन्डेंशियाबांड
16	57	जमानती बांड या बन्धकपत्र

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 07-07-2023 14:53:58
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

पृ0संख्या-810 (1)/2023/XXVII(9)/स्टाम्प-42/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल),
अपर सचिव